संख्या-47/2022/आई/139629/41-1099/2/2022/13(सा0)/2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 10 फरवरी, 2022

विषय:- राज्य सेक्टर की योजनाओं हेतु गाइडलाईन्स के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-6064/विविध-रा0यो0/2021, दिनांक 27.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास से संबंधित राज्य सेक्टर की योजनाओं हेतु गाइडलाईन्स का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उक्त गाइडलाईन्स को शासन स्तर से अधिसूचित/जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर की योजनाओं हेतु निम्नलिखित गाइडलाईन्स के अनुसार प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने कष्ट करें।

1- उद्देश्यः-

1.1 पर्यटन स्थलों का सुनियोजित पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण।
1.2 मूलभूत पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
1.3 स्थानीय आवश्यकता एवं स्थानीय स्थापत्यशैली के अनुरूप कार्यों एवं डिजाईन का निर्धारण।
1.4 स्थानीय लोक कलाओं, हस्तकलाओं, व्यंजनों का समायोजन/संवर्धन।
1.5 स्थानीय लोगों के मध्य सांस्कृतिक विरासतों के प्रति जागरूकता एवं उत्तरदायित्व के भाव में वृद्धि करना।
1.6 पर्यटन विकास कार्यों में स्थानीय लोगों/जनप्रतिनिधियों की सहभागिता।
1.7 राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य साधनों-संसाधनों का समन्वय एवं समागम सुनिश्चित करना।
1.8 स्थानीय लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन-स्तर का उन्नयन।
1.9 क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के विभिन्न अवसरों का सृजन।

2- दिशा-निर्देशः-

2.1 राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत ऐसे पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास हेतु विचार किया जा सकेगा, जो कि पर्यटन विभाग के द्वारा पूर्व से चिन्हित 12 पर्यटन परिपथों अथवा भविष्य में पर्यटन विभाग द्वारा घोषित होने वाले पर्यटन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों से सम्बन्धित हों तथा सरकारी गजेटियर में ऐतिहासिक/पौराणिक, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के रूप में इंगित किये गये हों।

2.2 प्रतिवर्ष कम से कम 50,000 की संख्या में आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं वाले पर्यटक स्थलों के विकास पर विचार किया जायेगा।

2.3 घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के आवक (arrival) को दृष्टिगत रखते हुये सम्भावित राजस्व एवं रोजगार के सृजन के आधार पर पर्यटन विकास के लिये चिन्हित एवं प्राथमिकताबद्ध किया जायेगा।

2.4 प्रत्येक प्रस्तावों पर सम्बन्धित क्षेत्र के मा0 जनप्रतिनिधियों तथा सम्बन्धित जनपद के पर्यटन प्रोत्साहन परिषद/जिलाधिकारी की संस्तुति प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.5 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त अनुरक्षण ऐग्रीमेन्ट के माध्यम से उसके हस्तान्तरण एवं दीर्घकालिक संचालन एवं रख-रखाव व्यवस्था हेतु लिखित कार्यवाही प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा (इस हेतु पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का आवर्तक व्यय आदि वहन नहीं किया जायेगा)।

2.6 प्रस्ताव के पूर्व निःशुल्क एवं निर्विवादित भूमि-सरकारी/पर्यटन स्थल की प्रबन्धन समिति/ट्रस्ट की भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया जाना। इस हेतु भूमि-स्वामित्व वाले विभाग/संस्था की अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा सम्बन्धित भूमि के वर्तमान अभिलेख-खसरा-खतौनी आदि अनिवार्य रूप से संलग्न किया जायेगा।

2.7 सम्बन्धित भू-स्वामी/समिति अथवा ट्रस्ट का सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकरण अनिवार्य होगा।

2.8 निजी भूमि अथवा निजी भवन में पर्यटन विभाग द्वारा कोई सरकारी धन व्यय नहीं किया जायेगा।

2.9 पर्यटन विकास कार्यों के पश्चात उसका सार्वजनिक उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार के कार्यों का उपयोग किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने निजी उपयोग में नहीं लाया जायेगा अथवा इनसे निजी तौर पर किराया वसूलने, निजी प्रयोग करने का कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

2.10 राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश में जिन सभी स्थलों पर पर्यटन विकास का कार्य कराया जायेगा एवं परिसम्पत्तियाँ सृजित की जायेंगी, उन्हें पर्यटन विभाग की परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण विवरण के साथ दर्ज किया जायेगा और उसे विभागीय वेबसाईट पर सार्वजनिक किया जायेगा।

2.11 क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा पर्यटन विकास कार्यों के फलस्वरूप घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के आवक में वृद्धि, स्थानीय स्तर पर रोजगार-सृजन एवं स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के उन्नयन आदि की वार्षिक आधार पर प्रोफाईलिंग की जायेगी और उससे सम्बन्धित डेटा पर्यटन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे निदेशालय द्वारा कम्पाईल कराकर विभागीय वेबसाईट पर सार्वजनिक किया जायेगा।

2.12 पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त इन कार्यों के लिये विधायक निधि/सांसद निधि/अन्य निधियों/सी.एस.आर./केन्द्रीय सेक्टर आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त संसाधनों को समन्वित करने का प्रयास किया जायेगा।

2.13 पर्यटन विकास हेतु ऐसे स्थलों का चयन किया जायेगा, जहाँ पर कोई प्राचीन भव, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक/पौराणिक स्मारक आदि, जो कम से कम 100 वर्ष पुराना हो अथवा ए0एस0आई0 या राज्य पुरातत्व विभाग से संरक्षित/घोषित हों।

2.14 पर्यटन स्थलों के चिन्हांकन/पर्यटन विकास में आर्किटेक्चरल डिजाईन, स्थानीय परम्पराओं, परिवेश, वास्तुकला, कला, संस्कृति एवं सौन्दर्यीकरण का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

2.15 पर्यटन स्थल/भवन जो 100 वर्ष पुराने नहीं है किन्तु उनका पर्यटन महत्व है, ऐसे स्थलों की संस्तुति जिला पर्यटन प्रोत्सोहन परिषद से करानी अनिवार्य होगी।

2.16 पर्यटन विकास के आगणन में यथासम्भव/मुख्य रूप से स्थानीय स्तर/प्रदेश में उपलब्ध निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जायेगा। बाहर से मंगाई जाने वाली निर्माण सामग्री तभी प्राविधानित/प्रयुक्त की जायेगी, जब उसकी उपलब्धता स्थानीय स्तर/प्रदेश में न हो एवं वह अतिआवश्यक हो।

2.17 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महापुरूषों, भारतीय संस्कृति, इतिहास में दर्ज सन्तों, महात्माओं की जन्मस्थली, कर्मस्थली, प्राकृतिक स्थल, जलप्रपात, बड़े बाँध, जल सरोवर, अभ्यारण्य, सुरम्य वन/पर्वत श्रृंखलायें, जो पर्यावरणीय दृष्टि से भी उचित हों।

3- <u>पर्यटन स्थल के अधीन परियोजना में सम्मिलित किये जाने योग्य (Admissible) कार्यों की सूचीः-</u>

3.1 टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर एवं टायलेट फैसिलिटी आदि।
3.2 वाहन पार्किंग, फूड प्लाजा/कैफेटेरिया।
3.3 पेयजल व्यवस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3.4 पर्यटन स्थल एवं परिसर में प्रकाश व्यवस्था।
3.5 मार्गीय सुविधा एवं पर्यटन परिसर में , हेलीपैड/हेलीपोर्ट तथा एयरपोर्ट , बस स्टेशन , रेलवे स्टेशन आदि के साईनेजेज।
3.6 जहाँ पर्यावरणीय संरक्षण हेतु पूर्व से कोई सुविधा न हो वहाँ सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की सुविधा का कार्य।
3.7 वाटर स्पोर्ट्स/एडवेन्चर स्पोर्ट्स से सम्बन्धित कार्य।
3.8 पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु लैण्डस्केपिंग , स्कल्पचर्स , म्यूरल्स एवं फ्रेस्को पेन्टिंग आदि का कार्य।
3.9 स्थानीय रोजगार सृजन हेतु तथा शिल्पियों के उत्पादों को प्रमोट करने हेतु क्राफ्ट बाजार/अर्बन हाट का कार्य।
3.10 सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु ओपेन एअर थियेटर।
3.11 ईको-टूरिज्म के अन्तर्गत नेचर ट्रेल/वाच टावर/रेन-शेल्टर (यात्री छादक)/गजीबो आदि का कार्य।
3.12 सांस्कृतिक/ऐतिहासिक विरासतों/स्मारकों/भवनों की रात्रिकालीय सौन्दर्य वृद्धि हेतु इल्यूमिनेशन/फसाड लाईटिंग का कार्य।
3.13 पर्यटकों को पर्यटन स्थल से परिचित कराने व शैक्षिक मनोरंजन गतिविधि हेतु साउण्ड एण्ड लाईट शो/लेजर शो का कार्य।
3.14 डिजिटल गाईडेन्स/मैपिंग हेतु जी.आई.एस. बेस्ड टूरिज्म इन्वेन्ट्री मैनेजमेन्ट का कार्य।
3.15 परियोजना के लिये आवश्यक भूमि का अधिग्रहण/क्रय।
3.16 अन्तर्राष्ट्रीय व देशी पर्यटकों के स्वास्थ्य , भारतीय आरोग्य पद्धतियों से परिचित कराने हेतु योग/ध्यान/विपश्यना केन्द्र का निर्माण।
3.17 लैण्डस्केपिंग एवं पार्क का कार्य।
3.18 साईनेजेज का कार्य-स्थायी प्रकृति के मैटेरियल्स का प्रयोग किया जायेगा।
3.19 नदी, झील एवं बड़े तालाबों जहाँ पर साहसिक जलक्रीड़ा एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन गतिविधियाँ क्रियान्वित हो रही हों अथवा सम्भावना हो, इस हेतु जेटी, सीढ़ियों, एवं घाटों का निर्माण।
3.20 पर्यटकों हेतु फर्नीचर, लाकर-अलमीरा एवं एडवेन्चर स्पोर्ट्स सम्बन्धी उपकरणों का क्रय।
3.21 पर्यटन निगम के माध्यम से संचालित पर्यटन इकाइयों का उच्चीकरण एवं उनमे आवश्यक अन्य पर्यटक सुविधाओं का विकास।"
3.22 शासन की विशेष अनुमति से अन्य कार्य।

4- <u>अयोग्य (Inadmissible) कार्यों की सूची:-</u>

4.1 निजी भूमि अथवा निजी भवन में कोई प्रस्ताव नहीं किया जा सकेगा।
4.2 विस्थापितों के री-सेटिलमेन्ट एवं रिहैबिलिटेशन आदि से सम्बन्धित कार्य।
4.3 तालाब अथवा नदी में ड्रेजिंग आदि से सम्बन्धित कार्य।
4.4 कन्वेंशन सेन्टर/गोल्फ कोर्स/एम्यूजमेन्ट पार्क (आवश्यकता पड़ने पर यह कार्य पीपीपी माडल पर ही कराये जायेंगे)
4.5 मन्दिर/मस्जिद/मजार/गुरूद्वारा/चर्च आदि धार्मिक भवनों के जीर्णोद्धार का कार्य।
4.6 तालाब की सफाई/पानी निकासी एवं कीचड़/मलबा के निस्तारण का कार्य।
4.7 शमशान घाट , कब्रिस्तान आदि में कार्य।
4.8 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग , जिला मार्ग अथवा सड़कों का निर्माण।

5- <u>परियोजना का चयन:-</u>

5.1 मा0 जनप्रतिनिधियों/जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद (जिलाधिकारी के माध्यम से) की संस्तुति एवं पर्यटक स्थल पर घरेलू/विदेशी पर्यटकों के आवक (arrival) एवं अन्य पर्यटक आवश्यकताओं के आधार पर।
5.2 उच्च स्तर से निर्णय/आदेश के क्रम में।
5.3 प्रदेश की पर्यटन नीति/दिशा-निर्देश में निहित मार्गदर्शक दिशा-निर्देशानुसार।

6- <u>डी0पी0आर0-डिजाईन/आगणन तैयार किया जाना:-</u>

6.1 रू0 50.00 लाख की धनराशि से अधिक धनराशि की परियोजनाओं का आगणन पर्यटन विभाग में इम्पैनेल्ड आर्किटेक्ट्स/वास्तुविद् फर्मों के माध्यम से तैयार कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6.2 रू0 5.00 करोड़ से अधिक की योजनाओं का कान्सेप्चुअल/स्किीमैटिक डिजाईन प्राप्त कर उनके प्रस्तुतीकरण के आधार पर योजना/कार्यों का चयन किया जायेगा।

6.3 बाट-आउट अथवा बाजार से सीधे खरीद किये जाने वाले आईटम्स पर वारण्टी एवं गारण्टी सम्बन्धी कार्ड/अभिलेखों एवं समस्त मैटेरियल/बिल्डिंग्स मैटेरियल्स आदि टाप ब्रान्डेड कम्पनियों के ही प्रयोग किये जायेंगे।

6.4 भवनों की डिजाईनिंग में भूकम्प संवेदीय क्षेत्र एवं स्वायल टेस्टिंग , रेन वाटर हार्वेस्टिंग , लैण्डस्केपिंग-लोकल हार्टिकल्चर , अग्नि सुरक्षा मानकों , सौर ऊर्जा एवं ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेज आदि का ध्यान रखा जायेगा।

7- <u>कार्यदायी संस्थाः-</u>

7.1 शासन के वित्त विभाग द्वारा अप्रूव्ड कार्यदायी संस्था द्वारा अपनी स्वीकृति/अनुमन्य निर्माण क्षमता के अनुरूप आगणन प्रस्तुत किया जायेगा।

7.2 वित्त विभाग , उ0 प्र0 शासन के दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्येक कार्य के लिये कार्यदायी संस्था की अनुशंसा पर्यटन निदेशालय द्वारा की जायेगी और शासन द्वारा कार्यदायी संस्था के चयन/निर्धारण हेतु अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

7.3 बड़ी योजनाओं के मामलों में आवश्यकता समझे जाने पर नेशनल/ग्लोबल आर्किटेक्चरल डिजाईन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चयनित किया जायेगा।

8- <u>प्राप्त प्रस्तावों/आगणनों का अप्रैजलः-</u>

8.1 शासन द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार शासन द्वारा गठित अप्रैजल कमेटी/ पी0 एफ0 ए0 डी0/ई0 एफ0 सी0 के द्वारा मूल्यांकन/परीक्षण किया जायेगा।

9- <u>योजनाओं की स्वीकृतिः-</u>

9.1 योजनाओं के समुचित स्तर से अप्रैजल के उपरान्त नियमानुसार वित्त विभाग की सहमति से पर्यटन विभाग के द्वारा पहले केवल प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

9.2 शासन द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के अनुरूप शासन स्तर से नामित कार्यदायी संस्था के द्वारा ई-टेण्डरिंग कराकर टेण्डर नोटिस , लेटर आफ इंन्टेन्ट , कार्यादेश , कान्ट्रैक्ट ऐग्रीमेन्ट आदि की प्रतियाँ पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराने तथा कुल टेण्डर्ड धनराशि (टोटल टेण्डर वैल्यू) सूचित करने के उपरान्त पर्यटन विभाग के द्वारा कुल टेण्डर्ड वैल्यू का 40 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप में कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

9.3 प्रथम किश्त का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोगिता/व्यय होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित रूप-पत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (काम्पोनेन्टवार समस्त व्ययों के विवरण सहित) , फोटोग्राफ एवं सक्षम तकनीकी अधिकारी के गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के साथ अगले किश्त की माँग का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9.4 अगले किश्त की माँग प्राप्त होने पर पर्यटन विभाग द्वारा कार्यों का भौतिक निरीक्षण अपने स्तर से कराया जायेगा तथा सन्तुष्टि होने पर 40 प्रतिशत धनराशि दूसरी किश्त के रूप में कार्यदायी संस्था को पुनः उपलब्ध कराई जायेगी।

9.5 उपरोक्त प्रकार से कार्यवाही/व्यय करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा पुनः सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये अभिलेखों के साथ तीसरे किश्त की माँग प्रस्तुत की जायेगी।

9.6 तृतीय किश्त के रूप में पर्यटन विभाग द्वारा कुल टेण्डर्ड वैल्यू का 15 प्रतिशत धनराशि कार्यदायी संस्था को प्रदान किया जायेगा। इसके उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा योजनान्तर्गत समस्त कार्यों को पूर्ण कर नियमानुसार कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र , उपयोगिता प्रमाण-पत्र , फोटोग्राफ एवं सक्षम स्तर से गुणवत्ता प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत कर प्रोजेक्ट क्लोजर की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

9.7 आर्किटेक्ट को उसके शुल्क का भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा नही किया जाएगा। यह भुगतान महानिदेशक द्वारा परियोजना की प्रगति एवं आर्किटेक्ट की निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर आर्किटेक्ट को सीधे किया जाएगा। टेंडर फाइनल होते ही कार्यदायी संस्था आर्किटेक्ट की फीस का विवरण महानिदेशक को उपलब्ध कराएंगे। महानिदेशक, पर्यटन शासन द्वारा जारी धनराशि में से संबन्धित धनराशि रोकते हुए ही कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराएंगे।

9.8 योजना की शेष 05 प्रतिशत की धनराशि एक वर्ष (परियोजना पूर्ण/हस्तान्तरित होने के एक वर्ष पश्चात तक डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि) के बाद पर्यटन विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जायेगा।

10- <u>परियोजना अवधिः-</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10.1 परियोजना की लागत को दृष्टिगत रखते हुये परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु परियोजना अवधि का निर्धारण शासन स्तर से करते हुये उसे शासनादेश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा और उसी समय-सीमा के भीतर कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्यों को पूर्ण कराया जाना होगा। किन्हीं कारणों से परियोजना विलम्बित होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित रूप से स्पष्टीकरण एवं औचित्य प्रस्तुत करते हुये नये समय-सीमा के निर्धारण का औपचारिक आवेदन विभाग को किया जायेगा , जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त विभाग द्वारा नई टाईमलाईन निर्गत की जायेगी। इन निर्देशों के विपरीत कार्यदायी संस्था द्वारा मनमाने ढंग से परियोजना विलम्बित करने पर विभाग द्वारा उनके ऊपर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा।

11- <u>योजनाओं का भौतिक निरीक्षण एवं अनुश्रवण:-</u>

11.1 प्रदेश में संचालित विभिन्न पर्यटन विकास सम्बन्धी योजनाओं का समय-समय पर नियमित भौतिक निरीक्षण एवं अनुश्रवण विभाग के क्षेत्राधिकारियों के द्वारा पर्यटन निदेशालय के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1253 दिनाँक 09-07-2021 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

11.2 क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालयों/अधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों का विस्तृत निरूपण विभागीय मैनुअल के अध्याय-6 में स्पष्ट रूप में वर्णित है।

11.3 बाट-आउट अथवा बाजार से सीधे खरीद वाले आईटम्स पर वारण्टी एवं गारण्टी सम्बन्धी कार्ड/अभिलेखों को चेक किया जायेगा और सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त मैटेरियल/बिल्डिंग्स मैटेरियल्स आदि टाप ब्रान्डेड कम्पनियों के ही होने चाहिये।

11.4 रू 01.00 करोड़ से अधिक वाली योजनाओं के कार्य स्थलों पर बिल्डिंग मैटेरियल टेस्टिंग लैब का होना परम आवश्यक होगा , जहाँ रजिस्टर में मैटेरियल्स की चेकिंग से सम्बन्धित विवरण नियमित रूप से दर्ज किये जायेंगे और समय-समय पर उसका निरीक्षण किया जायेगा।

11.5 कार्यदायी संस्था के द्वारा अपने विभागीय क्वॉलिटी चेकिंग व्यवस्था के अतिरिक्त थर्ड पार्टी क्वॉलिटी चेकिंग का कार्य नियमित रूप से कराया जायेगा , जिसकी रिपोर्ट पर्यटन विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

3- कृपया इस आदेश को पर्यटन निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के संयुक्त निदेशकगण/उप निदेशकगण/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारियों/पर्यटक अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों/कार्मिकों के मध्य अनुपालनार्थ परिचालित कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक/प्रमुख अभियन्ता/निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता/आयुक्त, उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0/लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0/कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम)/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग/उ0प्र0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0-यूपीसिडको)/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 निर्माण सहकारी संघ लि0-(यूपीआरएनएसएस)/उ0 प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (UPCLDF), लखनऊ, उ0 प्र0।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पृष्ठांकन के क्रमांक-3, 4 एवं 5 की प्रति सम्बन्धित को अपने स्तर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।